बाण्ड जारी करने के जरिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के संग्रहण हेतु समारोह

2016–17 के बजट भाषण में माननीय वित मंत्री ने बाण्ड जारी करने जरिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन के संग्रहण की घोषणा की है। बजट भाषण 2016–17 निम्नानुसार है।

''अवसंरचना को बढाने के लिए आगे व्यय करने हेतु, सरकार ने 2016–17 के दौरान बाण्ड जारी करने के जरिए एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, एनएबीएआरडी तथा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा रू. 31,300.00 करोड की सीमा तक अतिरिक्त वित के संग्रहण की अनुमति देगी।''

वित मंत्रालय द्वारा तारीख 25.04.2016 के का.ज्ञा. सं. एफ. 15 (4)–बी (सीडीएन) के तहत परिचालित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, निम्नलिखित निर्णय लिए गए थेः–

1. यह निर्णय लिया गया था कि, मंत्रालयों/सीपीएसयूएस/स्वायत्त निकायों के दिशानिर्देश हेतु, एमटीएनएल द्वारा उत्पन्न ऐसे ईबीआरएस की संबंध में अधिसूचना की प्रति (अनुलग्नक–1) पहले परिचालित की जाएगी।

2. जैसा कि बजट 2016–17 में दर्शाया गया है, सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से ईबीआरएस को बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अनुरोध किया गया था। ईबीआरएस की मात्रा संबंधित मंत्रालय/विभाग वास्तविक आवश्यकता तथा अवसंरचना के विकास हेतु आशानुरूप होनी चाहिए।

3. यह स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2016–17 के दौरान उत्पन्न ईबीआर की बढ़ोत्तरी उसी वर्ष के भीतर उपयोग किया जाना है।

बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुलग्नक के साथ–साथ तारीख 3.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.15 (4)–बी (सीडीएन)/2015 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर उपर्युक्त विषय पर सरकार का अनुमोदन सूचित किया गया है।

इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 के नीचे तालिका–1 में रू. 31,300 करोड का विवरण, जिसमें भाअजप्रा हेतु दर्शाए गए रू. 1000/–करोड शामिल है, दर्शाया गया है। कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेश का सार पुनः प्रस्तुत किया गया है :–

मंत्रालय/विभाग	एजेंसी का नाम	राशि (करोड रू. में)	प्रयोजन
पोत परिवहन मंत्रालय	भाअजप्रा	1000	सागरमाला परियोजनाएं/योजनाएं

2. रू. 31,300 करोड के ईबीआर में से, रू. 16,300 करोड के ईबीआर के संबंध में मूलधन तथा ब्याज की वापसी की व्यवस्था पीएफसी, आइआरईडीए, भाअजप्रा तथा नाबार्ड द्वारा उत्पन्न तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों की मांग में, आवश्कतानुसार, उपयुक्त बजट प्रावधान करके की जाएगी। यह मात्र 2016–17 में बाजार से उधारी के लिए एकबारगी व्यवस्था है।

3. बाण्डों की नामावली ''भारत सरकार द्वारा पूर्ण सेवित बाण्ड'' होगी।

4. सेबी के इलेक्ट्रानिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए प्राइवेट प्लेसमेंट मोड के जरिए बाण्ड जारी किए जाएंगे।

5. विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पन्न किए जाने हेतु बाण्डों की सांकेतिक विशेषताएं संलग्न है। संलग्न विवरणी में दर्शाए अनुसार संबंधित एजेंसियों को विभिन्न गुणों के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए।

6. जी–एसईसी उधारी की वर्तमान लागत के आधार पर, आरबीआई की सलाह तथा आंतरिक विचार–विमर्श, जी–एसईसी दर (एफआईएमएमडीए के अनुसार) की अनुकूल परिपक्वता के परे 10–20 बीपीएस पर कूपन मूल्य सुझाया गया है। यह दर केवल एजेंसियों के लिए प्रयास करने हेतु सांकेतिक हैं तथा प्लेसटमेंट के दौरान जिन्हें निवेशकों के समक्ष किसी भी पक्षपात/चालाकी से बचने के लिए घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूल जी–एसईसी दरों से अधिक प्रसार को कम करने के लिए उपाय किए जाएं।

7. निधियों के बेकार पडे रहने से बचने के लिए उपयोग की वास्तवित जरूरत के आधार पर संसाधन जुटाए जाए।

8. मंत्रालयों/विभागों द्वारा तालिका 1 में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ही ईबीआर में से व्यय किया जाएगा।

9. संबंधित मंत्रालय/विभाग उस संबंधित एजेंसी के साथ एमओयू, यदि आवश्यक हो, हस्ताक्षर कर सकते हैं जो ईबीआर को उत्पन्न कर रही है।

10. ईबीआर को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाए ताकि प्रस्तावित अवसंरचना के लिए आवेदित संसाधनों को यथाशीघ्र खर्च किया जा सके।

11. भाअजप्रा हेतु बजट भाषण, 2016–17 के पैरा 83 के अनुसार अवसंरचना वित पोषण के लिए बाण्डों की सांकेतिक विशेषताएं, कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न अनुग्नक के अनुसार, निम्नलिखित हैः–

गुण	**भाअजप्रा**
प्रकृति	1. **'भारत सरकार द्वारा पूरी तरह सेवित बाण्ड'** के रूप में वर्णित करने हेतु 2. अंतर्देशीय जलमार्ग तथा पोत परिवहन अवसंरचना हेतु प्रतिभूतिरहित मोच्य कर योग्य दीर्घ अवधि बाण्डं
इश्यू साइज (करोड में)	1000
समयावधि	10 वर्ष
अंकित मूल्य	रू. 10,00,000 प्रति बाण्ड
न्यूनतम इश्यू साइज/ट्रेनचीज की संख्या	न्यूनतम इश्यू साइज 500 करोड, दो ट्रेनचीज में
रेटिंग	एएए
कूपन दर	जी–एसईसी (एफआईएमएमडीए के अनुसार) की अनुकूल परिपक्वता से अधिक 10–20 बीपीएस
मोड ऑफ प्लेसमेंट	सेबी के ई–नीलामी प्लेटफार्म के जरिये किया जाना है
विमोचन	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर, बुलट पुर्नभुगतान
गारंटी तथा गारंटी फीस	भारत सरकार द्वारा सेवा को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट गारंटी आवश्यक नही होगी। वित्त मंत्रालय की और से एक पत्र जारी किया जाएगा, कोई गारंटी फीस आवश्यक नहीं है।
इश्यू खर्च	भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
भुगतान की राशि	अर्ध–वार्षिक आधार पर ब्याज का तथा परिपक्वता पर मूल राशि का भुगतान

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की और से तारीख 18.10.2016 को कार्यालय ज्ञापन सं० 15(4)–बी (सीडीएन)/2015 में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के

तारीख 03.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सागरमाला परियोजनाएं तथा स्कीमों के बजाय ईबीआर के उपयोग का प्रयोजन 'अंतर्देशीय जलमार्ग तथा पोत–परिवहन अवसंरचना' हेतु ईबीआरएस का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त मंत्राय, भारत सरकार की और से तारीख 03.01.2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं० 15(4)–बी (सीडीएन)/2016– इस कार्यालय ज्ञापन द्वारा वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित निदेश दिए थे :–

(क) जी–एसईसी दर (एफआईएमएमडीए के अनुसार) की अनुकूल परिपक्वता के परे 10–20 बीपीएस पर कूपन मूल्य सुझाया गया है। यह दर केवल एजेंसियों के लिए प्रयास करने हेतु सांकेतिक हैं तथा प्लेसटमेंट के दौरान, जिन्हें निवेशकों के समक्ष किसी भी पक्षपात/चालाकी से बचने के लिए घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूल जी–एसईसी दरों से अधिक प्रसार को कम करने के लिए उपाय किए जाएं। वास्तविक कूपन की दर वर्तमान बाजार की स्थिति के अनुसार हो सकती है।

(ख) 2016–2017 में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार शीघ्रतापूर्वक ईबीआर बढाई जाए।

(ग) यदि 10 वर्ष की अवधि की अपेक्षा उधारी की लागत कम होती है। बोन्डो के विमोचन की अवधि को केवल 15 वर्षो तक बढाया जा सकता है

(घ) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेबी के इलेक्ट्रानिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए प्राइवेट प्लेसमेंट मोड के जरिये बाण्ड जारी किए जा सकते है।

(ड) पोत परिवहन मंत्रालय अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन अवसंरचन के विकास के लिए ईबीआरएस का प्रयोग कर सकती है।

ईबीआरएस के जरिये निधि जुटाने के लिए प्राधिकरण में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित एजेंसियों को नियुक्त गया है :–

(i) **<u>क्रेडिट रेटिंग एजेंसी</u>** :– सीआरआईएसआईएल तथा सीएआरई नामक दो रेटिंग एजेंसियों को नियुक्त किया गया है तथा एएए (एसओ)–स्टेबिल को दोनों एजेंसियों द्वारा नियुक्त किया गया। उसकी प्रति संलग्न है।

(ii) **<u>भावी व्यवस्थापक</u>** :– 12 मर्चेन्ट बैंकरों को भावी व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

1. ए.के. कैपिटल सर्विसिज लिमिटेड	2. एक्सिस बैंक लिमिटेड	3. इडेलवैस फाइनेंसियल सर्विसिज लिमिटेड
4. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	5. आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	6. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राईमरी डीलरशिप लिमिटेड
7. एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड	8. एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड	9. एसपीए कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड
10. टिपसंस कंसलटेंसी सर्विसिज लिमिटेड	11. ट्रस्ट इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	12. यस बैंक लिमिटेड

(iii) **सूचना ज्ञापन** :– सूचना ज्ञापन को ई–बोली हेतु अंतिम रूप दिया गया है तथा बीएसई प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया है।

(iv) **रजिस्ट्रार** :– मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

(v) **ट्रस्टी** :– मैसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(vi) **ई–बोली प्लेटफार्म** :– बीएसई को बोली हेतु इसके ई–प्लेटफार्म को उपयोग में लाने के लिए चुना गया है तथा सिद्धान्त तौर पर इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(vii) **कलेक्टिंग बैंकर** :– बैंक ऑफ बडौदा पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच, नई दिल्ली को ईबीआरएस के लिए क्लैकटिंग बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(viii) **मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा अनुपालन अधिकारी (सीओ)** :– सेबी के दिशनिर्देशों के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों को बाण्डस जारी करने संबंधी सभी पहलुओं के लिए नामित किया है :–

1. श्री आलोक रंजन, सदस्य (वित्त) – मुख्य वित्त अधिकारी
2. श्री ए. के. गुप्ता मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) – अनुपालन अधिकारी

(ix) **<u>बाण्ड समिति</u>** :– बाण्ड समिति बनाई गई है। जिसका गठन निम्न प्रकार है :

1.	श्री आलोक रंजन, सदस्य (वित्त)	–	अध्यक्ष
2.	श्री शशि भूषण शुक्ला, सचिव	–	सदस्य
3.	श्री ए. के. गुप्ता मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)	–	सदस्य
4.	श्री एन. के. मुन्जाल, वरिष्ठ परामर्शदाता	–	सदस्य

(x) **<u>निवेश समिति</u>** :– 04 नवंबर, 2016 को प्रकाशित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (इश्यू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज) विनियमन, तारीख 02 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के खंड 5 के अनुसार निवेश समिति गठित की गई है। समिति का गठन निम्नानुसार है :–

क)	श्री प्रवीर पाण्डेय, उपाध्यक्ष	–	अध्यक्ष
ख)	श्री आलोक रंजन, सदस्य (वित्त)	–	सदस्य
ग)	श्री शशि भूषण शुक्ला, सचिव सदस्य–सचिव	–	
घ)	श्री एस. सी. सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा पूर्व सदस्य, बी.आई. एफ. आर	–	सदस्य
ड)	श्री गजेन्द्र भुजबल, आई.ई.एस (सेवानिवृत्त) अपर सचिव सह वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	–	सदस्य
च)	श्री एन. के. मुन्जाल, वरिष्ठ परामर्शदाता	–	सदस्य

23.02.2017 को बीएसई प्लेटफार्म पर प्रारूप आईएम अपलोड कर दिया गया है तथा रू० 200 करोड के इश्यू साइज ई–बोली के लिए आगामी तारीख 01.03.2017 हो सकती है जिसमें रू० 300 करोड के ग्रीन शू ओप्सन को जोडा जा सकता है।

*****